शपथ–पत्र

शपथी का नवीनतम फोटोग्राफ नोटरी द्वारा सत्यापित

समक्ष,

पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

मैं..उम्र लगभग..........................वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी. ....जाति.........................उपजाति...........................श्रेणी.. सामान्य/अ0पि0वर्ग/अनु0जाति/जनजाति), निवासी........................थाना...........................जनपद......................... अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ/करती हूँः–

(1) यहकि शपथी उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद पर नियुक्ति हेतु जिला/इकाई...से उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के अन्तर्गत एक अभ्यर्थी हूँ।

(2) यहकि शपथी के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना(इन्वेस्टिगेशन)/मामला न्यायालय में लम्बित है।

(3) यहकि शपथी किसी राष्ट्रविरोधी, राजनैतिक पार्टी/संगठन का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ/रही हूँ।

(4) यहकि शपथी कभी अपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(5) यहकि शपथी को कभी किसी अपराधिक मामले में पुलिस द्वारा चालान नहीं किया गया है।

(6) यहकि शपथी राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा से कभी बर्खास्त (डिसमिस) नहीं किया गया हूँ/गयी हूँ।

(7) यहकि शपथी आवेदन पत्र भरने के 10 वर्ष पूर्व तक किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है।

(8) यहकि शपथी के विरुद्ध जो अपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं या जिसमें शपथी चालान किया गया था, जो विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस हैं, उनका विवरण निम्नवत् हैः–
(यदि कोई हो तो विवरण अंकित करें अथवा नहीं तो सूचना शून्य अंकित की जाय)

....

....

....

(9) (क) यहकि शपथी अविवाहित/विधुर है।
(ख) यहकि शपथी विवाहित है तथा एक जीवित पत्नी है।
(ग) यहकि शपथी विवाहित है तथा एक से अधिक पत्नी जीवित हैं।

(10) यहकि आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पायी जाये अथवा किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मुझे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के शारीरिक दक्षता मूल्यांकन में सम्मिलित न होने दिया जाये तथा विधिक दण्ड दिया जाये।

(11) यहकि यदि इस शपथ–पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी गलत पाये जायें तो मुझे कोर्स/सेवा से तुरन्त पृथक् कर दिया जाये तथा विधिक दण्ड दिया जाये। साथ ही यदि शपथी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये तो उसका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। जिस पर उसे कोई आपत्ति न होगी।

(12) यहकि यदि शपथी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के दक्षता मूल्यांकन में असफल पाया जाता है तो विभाग द्वारा उसे वर्तमान समय में उपलब्ध पदों के सापेक्ष जिस पद पर भी सेवायोजन प्रदान किया जायेगा वह सहर्ष स्वीकार करेगा।

(13) यहकि मैं शपथी स्व0...का वास्तविक आश्रित हूँ तथा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के अन्तर्गत मृतक कर्मी के परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को अभी तक सेवायोजन का लाभ नहीं मिला है।

(14) यहकि शपथी मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक नागरिक पलिस पद की उक्त शारीरिक दक्षता मूल्यांकन में............................बार सम्मिलित हो रहा हूँ/रही हूँ।

(15) यहकि शपथी को उक्त शारीरिक दक्षता मूल्यांकन के बुलावा पत्र में अंकित समस्त शर्ते स्वीकार हैं:–

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मैं..उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र के प्रस्तर...................में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। इस शपथ–पत्र के प्रस्तर..................में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं और जिन्हें मैं विश्वास करता/करती हूँ कि वे भी सत्य हैं। इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी/शपथकर्ता का निशान अंगूठा

आज दिनांक.................................को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला.............................प्रांगण में अभिसाक्ष्य द्वारा सत्यापित किया गया।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर